न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण रिव्यू 188-I-15

अटल कुमार शर्मा पुत्र रेवाराम शर्मा
परषोत्तम कुमार शर्मा पुत्र रेवाराम शर्मा
दोनों निवासी सिंहपुर (बडा) तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 23-1-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-1-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. अखिलशंकर शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा
2. अवध कुमार शर्मा पुत्र रेवाराम शर्मा

दोनों निवासी सिंहपुर (बडा) तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

मुकेश भार्गव 23-1-15 ग्वालियर

<u>माननीय प्रशासकीय सदस्य श्री मनोज गोयल राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 1802–I/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

1– यह कि, आवेदकगण एवं अनावेदक कं. 2 तीनों सगे भाई हैं। उक्त तीनों भाईयों की मां स्व. अनुसुइया बाई भूमि ख.नं. 26/21 रकवा 1.774 हे. एवं ख. नं. 26/6 रकवा 0.024 हे. ख.नं. 89 ख.नं. 92 जुमला रकवा 6.192 हे. सिंहपुर (बडा) तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित भूमि की अभिलिखित भूमिस्वामी मालिक थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु. 188–एक/2015 **जिला नरसिंहपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–04–2016	आवेदक अधिवक्ता को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1802–एक/13 में पारित आदेश दिनांक 11–11–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	